मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 377/2013 वाद
GCMS No. – 2016/00572

श्री घनश्याम पिता श्री नाथूलाल जाति माली उम्र 35 साल निवासी चांदखेडा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।

–वादी

//बनाम//

1. श्री नाथूलाल पिता उदा जाति माली उम्र 60 साल निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
2. श्री प्रकाश पिता नाथूलाल जाति माली उम्र 33 साल निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
3. श्री शांतिलाल पिता नाथूलाल जाति माली उम्र 30 साल निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
4. मु0 लीलाबाई पुत्री नाथूलाल जाति माली उम्र 28 साल निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
5. नानीबाई पत्नी रामरतन जाति पूर्बिया गाडरी उम्र 50 साल निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
6. रामरतन पिता मांगीलाल जाति पूर्बिया गाडरी उम्र 53 साल निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
7. अमृतराम पिता उदा जाति माली उम्र वयस्क निवासी चांदखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
8. मु0 देऊ पुत्री उदा पत्नी बालू जाति माली उम्र वयस्क निवासी चांदखेड़ा हाल मु0 अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा राज0।
9. मु0 अणछी पुत्री उदा पत्नी हरिराम जाति माली उम्र वयस्क निवासी चांदखेड़ा हाल मड़डा गुलफरोशान।
10. मथुरालाल पिता उदा जाति माली उम्र वयस्क नि0 अरनियामाली तह0 निम्बाहेड़ा।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

प्रकरण में दिनाक 15.04.2015 को न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्रकरण मे तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि वादी घनश्याम पिता नाथूलाल द्वारा प्रकरण में आराजियात का बटवारा कराने से माना किया है तथा घोषणा अनुसार ही वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट पर वादी घनश्याम एवं उनके अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार कुमावत ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये है। चूंकि पूर्व में उक्त प्रकरण में हुए निर्णय दिनांक 15.04.2015 में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 के हक हिस्से को वर्णित किया जा चुका है। अतः उसी अनुसार वादी के वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है। मौजा चांदखेड़ा पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 59 एवं 60 में वर्णित आराजियात आराजी नम्बर 169, 171, एवं 172 में 1/6 हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पैतृक–पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें बाई बर्थ अधिकार निहित होने से वादी को प्रतिवादी पिता नाथूलाल के हिस्से में दर्ज आराजी में 1/5 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/5, 1/5 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। आराजी संख्या 184, 299 में नाथूलाल के हिस्से के रकबा में उक्तानुसार हिस्सा दर्ज करते हुए शेष खातेदारों के हिस्से को बदस्तुर रखा जावें।

अ– आराजी संख्या 171, 172, 169 में नाथूलाल के हिस्से में 1/30 एवं वादी का 1/30, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा शेष बदस्तुर रहेगा।

ब– आराजी संख्या 184 में वादी का 1/30, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/30 तथा शेष बदस्तुर रखा जावें।

स– आराजी संख्या 299 में वादी का 1/30, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/30, शेष बदस्तुर रखा जावें।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.12 17:19:46 IST
Reason: SelfAttested